



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/16

निर्णय दिनांक:-13-09-2019

1. जन्त पुत्री खैरू खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 4 एसडब्ल्यूएम सियासर चौगान तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 29-01-2009
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थिति:-

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 29-01-2009 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक 4 एसडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 112/45 में तादादी 07 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन वर्ष 1999 में किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम किशतें जमा करवा

दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होंने आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किशतें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया गया है। यदि अपीलांट की कोई किशत बकाया भी है तो अपीलांट आज दिनांक तक बकाया किशतें जमा करवाने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-01-2009 के विरुद्ध अपील दिनांक 01-04-16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-01-2009 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 01-04-2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किशतों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर किशतें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा वर्ष 2009 में अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह साबित है कि अपीलांट द्वारा नांक 25-06-1999 को जरिये जीए रसीद संख्या 494263 द्वारा 35 प्रतिशत राशि 24143/- जमा करवाई गई। तत्पश्चात् जरिये चालान संख्या 2641 दिनांक 22-03-2013 द्वारा राशि 44840/- खजानाराज में जमा करवाई गई। जब किशतें लगातार जमा हो रही थी तो किशतों के अभाव में अपीलांट के विधिवत आवंटन को खारिज किया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। 14 साल तक लगातार किशतें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया

गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29-01-2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटित नहीं की गई हो तो बकाया राशि तीन माह में जमा करवाकर आवंटन बहाल किया जावे।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13-09-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर